



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15102022-239669  
CG-DL-W-15102022-239669

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15—अक्टूबर 21, 2022 (आश्विन 23, 1944)  
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15—OCTOBER 21, 2022 (ASVINA 23, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठ सं. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ सं. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                      | 935       | छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *         |
| भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                    | 877       | भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... | *         |
| भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         | भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *         |
| भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                            | 3169      | भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                      | 9427      |
| भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *         | भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *         |
| भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *         | भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *         |
| भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *         | भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 459       |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....                                                                                                                      | *         | भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2737      |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... | *         | भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *         |

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Page<br>No. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Page<br>No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....                                                                        | 935         | (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....                                                                       | 877         | PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... | *           |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....                                                                                                                                                                             | 1           | PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *           |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....                                                                                                                                                       | 3169        | PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....                                                                                                                                                                                 | 9427        |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....                                                                                                                                                                                                                                            | *           | PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *           |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....                                                                                                                                                                                                | *           | PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....                                                                                                                                                                                                                         | *           | PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 459         |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... | *           | PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2737        |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India                                                                                                                                                                          |             | PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2022

सं.10-6/2022-यू3(ए)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान को समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अधिसूचना संख्या 9-25/2000-यू.3 दिनांक 13 जनवरी, 2003 के तहत अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु को एक समवत विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था, जिसमें पांच वर्षों के बाद समीक्षा के अध्यक्षीन निम्नलिखित पांच संस्थान शामिल हैं:

- i. अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, अट्टिमदई कैंपस, कोयंबटूर;
- ii. अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अट्टिमदई कैंपस, कोयंबटूर;
- iii. अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, कोच्चि;
- iv. अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, कोच्चि; तथा
- v. अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, कोच्चि।

3. और जबकि, केंद्र सरकार ने, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बाद में यूजीसी की सलाह पर अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु के समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को बढ़ा दिया था।

4. और इसके अलावा जबकि, अमृता विश्व विद्यापीठम (समवत विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु ने फरीदाबाद, हरियाणा में एक ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने हेतु यूजीसी पोर्टल पर दिनांक 09.06.2022 को एक ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया था। यूजीसी से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार आवेदन की जांच करने और अपना परामर्श प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था।

5. और जबकि, यूजीसी ने अपने पत्र संख्या 40-6/2022 (सीपीपी-1/डीयू) दिनांक 15 जुलाई, 2022 द्वारा सूचित किया था कि समवत विश्वविद्यालय के आवेदन की जांच यूजीसी अध्यक्ष द्वारा गठित एक स्थायी समिति द्वारा की गई थी। समिति ने तीन साल की अवधि के भीतर कतिपय शर्तों को पूरा करने हेतु अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की थी। स्थायी समिति की सिफारिश को अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

6. और जबकि, यूजीसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तीन वर्षों की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए 26.07.2022 को एलओआई जारी किया था:

- i. अमृता विश्व विद्यापीठम, तमिलनाडु अप्रतिसंहरणीय सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से समवत विश्वविद्यालय के नाम पर स्थायी रूप से 10 करोड़ रुपये की मूल निधि(कॉर्पस फंड) को बनाए रखने के लिए विधिक बचनबंध प्रस्तुत करेगी।
- ii. समवत विश्वविद्यालय फरीदाबाद परिसर में प्रस्तावित पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए संबंधित सांविधिक परिषद(दों), यदि कोई हो, का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

- iii. कम से कम 25 शिक्षक संख्या के साथ शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए और नियमित कक्षा-कक्ष पद्धति के तहत रोल पर न्यूनतम 500 प्रस्तावित छात्र हों, जिनमें से कम से कम एक तिहाई पीजी/शोध छात्र हो; और शोध कार्यक्रमों के साथ कम से कम 3 पीजी विभाग हों।
- iv. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/संगत सांविधिक परिषदों द्वारा यथा निर्धारित अवसंरचना होनी चाहिए।
- v. निर्मित क्षेत्र प्रति छात्र 30 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए जिसमें शैक्षणिक, प्रशासनिक, सामान्य और मनोरंजक सुविधाएं शामिल होंगी।

यह स्पष्ट किया गया था कि मौजूदा यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, एक शैक्षणिक वर्ष में एक ऑफ-कैंपस स्थापित किया जा सकता है।

7. और इसके अलावा जबकि, समवत विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत एलओआई की शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट, यूजीसी द्वारा सत्यापित की गई थी। यूजीसी ने अपने पत्र संख्या 40-6/2022 (सीपीपी-1/डीयू) दिनांक 16 सितंबर, 2022 के माध्यम से सूचित किया कि समवत विश्वविद्यालय ने एलओआई की शर्तों का अनुपालन किया है और आवश्यक वचनबंध प्रस्तुत किए हैं। यूजीसी ने आगे सूचित किया है कि चूंकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा अमृता विश्व विद्यापीठम के अमरावती ऑफ-कैंपस के लिए 13.05.2022 अर्थात् शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 को मंजूरी दी गई थी, इसलिए अमरावती कैंपस के लिए अनुमोदन शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए माना जाए।

8. और अब, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन फरीदाबाद, हरियाणा में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की अनुमति देती है:

- i. समवत विश्वविद्यालय, अप्रतिसंहरणीय सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से समवत विश्वविद्यालय के नाम पर स्थायी रूप से 10 करोड़ रुपये की मूल निधि(कॉर्पस फंड) को बनाए रखने के लिए विधिक वचनबंध प्रस्तुत करेगी।
- ii. शैक्षणिक वर्ष 2022-23 हेतु अनुमोदन फरीदाबाद परिसर में प्रस्तावित निम्नलिखित कार्यक्रमों तक ही सीमित होगा:
  - क. बी.एससी मेडिकल रेडियो टेक्नोलॉजी (एमआरटी);
  - ख. बी.एससी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी (ईएमटी);
  - ग. बी.एससी इंटेन्सिव केयर टेक्नोलॉजी(एमआरटी);
  - घ. मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन;
  - ङ. मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (एमपीएच);
  - च. एम.एससी.बायो स्टैटिस्टिक्स;
  - छ. एम.एससी.एमएलटी-पैथोलॉजी;
  - ज. एम.एससी. एमएलटी बायोकेमिस्ट्री;
  - झ. एम.एससी. एमएलटी माइक्रोबायोलॉजी;
  - ञ. एम.एससी. मोलेक्यूलैर मेडिसिन;
  - ट. एम.एससी. नैनो बायोटेक्नोलॉजी;
  - ठ. एम.एससी. नैनोसाइंसेज एंड टेक्नोलॉजी
- iii. शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए शोध कार्यक्रम:- एम.एससी. एमएलटी-पैथोलॉजी, एमएससी बायो-स्टैटिस्टिक्स, एमएससी. मोलेक्यूलैर मेडिसिन और एमएससी नैनोसाइन्स और टेक्नोलॉजी के तहत आयोजित किए जाएंगे।
- iv. फरीदाबाद परिसर में नए पाठ्यक्रम यूजीसी के मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार शुरू किए जाएंगे।

9. सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से पांच साल की अवधि के बाद आयोग द्वारा उक्त ऑफ-कैंपस की समीक्षा की जाएगी। यह अनुमति यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 और केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक मानदंडों/नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के अध्यक्षीन है।

वीरेंद्र कुमार सिंह  
उप सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 27 सितंबर 2022

सं. 9-48/2004-यू3(ए)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, किसी उच्च शिक्षण संस्थान को यूजीसी की सलाह पर समवत विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, दिनांक 24.05.2005 की अधिसूचना संख्या 9-48/2004-यू.3 के द्वारा दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र जिसमें (i) जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वर्धा और (ii) शरद पवार डेंटल कॉलेज, वर्धा शामिल हैं, को समवत विश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. और जबकि, संस्थानों ने मौजूदा दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर “दत्ता मेघे उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र” करने का अनुरोध प्रस्तुत किया था।

4. और जबकि, सरकार ने दिनांक 04.02.2022 के अपने पत्र संख्या 9-48/2004-यू.3 द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर दत्ता मेघे उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी:

- i. नए नाम से एक पृथक गैर-लाभकारी सोसायटी/न्यास/कंपनी पंजीकृत की जाएगी।
- ii. समवत विश्वविद्यालय की सभी परिसंपत्तियों (चल और अचल) को विधिक रूप से नए नाम पर अंतरित किया जाएगा।
- iii. समवत विश्वविद्यालय की मूल निधि को नए नाम पर अंतरित किया जाना चाहिए।
- iv. समवत विश्वविद्यालय के संगम ज्ञापन/नियम नए नाम पर होने चाहिए।

5. और इसके बाद जबकि, संस्थान ने 24.03.2022 और 28.04.2022 को अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सत्यापन और परामर्श हेतु यूजीसी को भेजा गया था। अनुपालन रिपोर्ट के सत्यापन के बाद, यूजीसी ने दिनांक 06.09.2022 के अपने पत्र संख्या 6-98/2004 (सीपीपी- I/डीयू) द्वारा समवत विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन हेतु अपनी अनापत्ति व्यक्त की थी।

6. अतः, अब, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, इस अधिसूचना की तारीख से “दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलकर दत्ता मेघे उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र” करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करती है।

7. दत्ता मेघे उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र अपने नाम के आगे या पीछे ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। अपने सभी विज्ञापनों, सार्वजनिक सूचनाओं, पत्राचार आदि में, समवत विश्वविद्यालय संस्थान अपनी नामावली के तहत (कोष्ठक के भीतर) एक पंक्ति, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा: “यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित” सन्निविष्ट करते हुए स्पष्टरूप से उल्लेख करेगा।

8. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा जारी मानक/विनियमों का दत्ता मेघे उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

विजयलक्ष्मी महादेवन  
अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 3rd October 2022

No. 10-6/2022-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-25/2000-U.3 dated 13th January, 2003, on the advice of UGC, had declared Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University consisting of following five institutes subject to review after five years:

- i. Amrita Institute of Technology and Science, Ettimadai Campus, Coimbatore;
- ii. Amrita Institute of Management, Ettimadai Campus, Coimbatore;
- iii. Amrita Institute of Medical Sciences and Research Centre, Kochi;
- iv. Amrita Institute of Pharmaceutical Sciences, Kochi; and
- v. Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi.

3. And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, subsequently extended the deemed to be University status of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu, on the advice of UGC.

4. And further whereas, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu uploaded an online application dated 09.06.2022 on UGC Portal for setting up an off-campus centre at Faridabad, Haryana. The UGC was requested to examine the application as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and furnish its advice.

5. And whereas, UGC, vide its letter No.40-6/2022 (CPP-I/DU) dated 15th July, 2022, conveyed that the application of the deemed to be University was examined by a Standing Committee constituted by Chairman, UGC. The Committee recommended issuing of Letter of Intent (LoI) to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu for fulfilment of certain conditions within a period of three years. The recommendation of the Standing Committee was approved by the Chairman, UGC.

6. And whereas, taking into consideration the advice of UGC, Ministry of Education issued LoI on 26.07.2022 for fulfilment of the following conditions within a period of three years:

- i. The Amrita Vishwa Vidyapeetham, Tamil Nadu shall give legal undertaking for maintaining Corpus fund of Rs. 10 crore permanently in the name of the Deemed to be University by way of irrevocable Government Securities.
- ii. The Deemed to be University shall obtain approval of respective Statutory Council(s), if any, for the Courses/ Programme proposed at Faridabad campus.
- iii. The teacher student ratio should not be less than 1:20 with a faculty strength of not less than 25 teachers and a minimum of 500 proposed students on the rolls under the regular class room mode, of which not less than one third being PG/research students; and at least 3 PG departments with research programmes.
- iv. The infrastructure should be as prescribed by the UGC/relevant Statutory Council(s).
- v. The built up area should not be less than 30 sq. mts. per student which shall include academic, administrative, common and recreational facilities.

It was clarified that as per the provisions of the existing UGC Regulations, not more than one campus can be established in one academic Year.

7. And further whereas, the compliance report in respect of conditions of LoI, as submitted by the deemed to be University, was verified by the UGC. UGC, vide its letter No.40-6/2022 (CPP-I/DU) dated 16th September, 2022, informed that the deemed to be University has complied with the conditions of the LoI and has submitted necessary undertakings. UGC has further informed that since the approval by the Ministry of Education was granted for Amaravati Off-campus of Amrita

Vishwa Vidyapeetham on 13.05.2022 i.e. academic year 2021-2022, the approval for Amaravati Campus may be treated for the academic year 2021-2022.

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permits Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu to start an off-campus centre at Faridabad, Haryana subject to submission of fulfilment report of the following conditions:

- i. The Deemed to be University shall submit legal undertaking for maintaining Corpus fund of Rs. 10 crore permanently in the name of the Deemed to be University by way of irrevocable Government Securities.
- ii. The approval for the academic year 2022-23 shall be confined to the following programmes proposed at Faridabad Campus:
  - a. B.Sc Medical Radio Technology (MRT);
  - b. B.Sc Emergency Medical Technology (EMT);
  - c. B.Sc Intensive Care Technology (MRT);
  - d. Master of Hospital Administration;
  - e. Master of Public Health (MPH);
  - f. M.Sc Bio Statistics;
  - g. M.Sc MLT-Pathology;
  - h. M.Sc MLT Biochemistry;
  - i. M.Sc MLT Microbiology;
  - j. M.Sc Molecular Medicine;
  - k. M.Sc Nano Biotechnology;
  - l. M.Sc Nanosciences and Technology.
- iii. The research programmes for the academic year 2022-23 will be conducted under:- M.Sc MLT-Pathology, M.Sc Bio-Statistics, M.Sc. Molecular Medicine & M.Sc Nonoscience and Technology.
- iv. The new Courses at the Faridabad Campus shall be started in accordance with the provisions of the extant Regulations of UGC.

9. The said off-campus shall be reviewed by the Commission after a period of five years from the date of Notification by the Government. This permission is subject to the compliance of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and other relevant Norms / Rules / Regulations / Directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

B. K. SINGH  
Deputy Secretary

New Delhi-01, the 27th September 2022

No. 9-48/2004-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as Institution Deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-48/2004-U.3 dated 24.05.2005, on the advice of UGC, had declared Datta Meghe Institute of Medical Sciences, Nagpur, Maharashtra comprising (i) Jawaharlal Nehru Medical College, Wardha and (ii) Sharad Pawar Dental College, Wardha, as an Institution Deemed to be University.

3. And whereas, the Institutions submitted its request to rechristen the name of existing Datta Meghe Institute of Medical Sciences to "Datta Meghe Institute of Higher Education & Research, Wardha, Maharashtra".

4. And whereas, the Government, vide its letter No. 9-48/2004-U.3 dated 04.02.2022, conveyed its in-principle approval for change of the name of Datta Meghe Institute of Medical Sciences to Datta Meghe Institute of Higher Education & Research, Wardha, Maharashtra for fulfilment of the following conditions:

- i. A separate not-for-profit Society/Trust/Company shall be registered in the new name.

- ii. All the assets (movable & Immovable) of the Deemed to be University shall be legally transferred in the new name.
- iii. Corpus Fund of the Deemed to be University has to be transferred in new name.
- iv. The MoA/Rules of the Deemed to be University has to be in the new name.

5. And further whereas, the Institution submitted its compliance report on 24.03.2022 & 28.04.2022 that was sent to UGC for verification and advice. After verification of the compliance report, UGC vide its letter No.6-98/2004 (CPP-I/DU) dated 06.09.2022 conveyed its no objection for change of name of the Deemed to be University.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby convey its approval for change the name of “Datta Meghe Institute of Medical Sciences” to “Datta Meghe Institute of Higher Education & Research”, Wardha, Maharashtra with effect from the date of this Notification.

7. Datta Meghe Institute of Higher Education & Research, Wardha, Maharashtra shall not use the word ‘University’ either in prefix or suffix to its name. In all its advertisements, public notices, communications, etc., the institution deemed-to-be-university shall distinctly mention under its nomenclature by inserting (within brackets) a line, which shall read: "Declared as Deemed-to-be-University" under Section 3 of the UGC Act, 1956.

8. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Norms / Regulations of UGC and Statutory Council(s) concerned, issued from time to time, shall continue to be adhered by Datta Meghe Institute of Higher Education & Research, Wardha, Maharashtra.

VIJAYALAKSHMI MAHADEVAN  
Under Secretary